फॉर्म नंबर सीएए. 2

[धारा 230(3) तथा नियम 6 और 7 के अनुसार]

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण,

नई दिल्ली पीठ के समक्ष

सीए(सीएए) संख्या 4/एनडी/2026

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

और

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

और

ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड के एकीकरण योजना के मामले में

(हस्तांतरणकर्ता कंपनी)

नैनज मेड साइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

और

उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ

(हस्तांतरिती कंपनी)

1. ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएनः U24211DL1998PTC094129, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 42/1 प्रथम तल, ब्लॉक ए, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र चरण 1, नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली, 110028 में है, पैनः – AAACG9039L

हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी 1

2. नैनज मेड साइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, (सीआईएनः U01403DL2006PTC156756) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-168 भूतल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, चरण 1, नारायणा औद्योगिक एस्टेट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110028 में है, पैनः – AACCN5552B

....हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2

आवेदक कंपनियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से बैठक बुलाने की सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दिनांक 26.02.2026 के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण की नई दिल्ली पीठ ने दोनों आवेदक कंपनियों के सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें बैठकों का उद्देश्य आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच विलय योजना पर विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो उसमें संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करना है। उक्त आदेश के अनुपालन में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक कंपनियों के सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म और सुविधाओं के माध्यम से वीसी द्वारा आयोजित की जाएंगी जिसमें बैठकों का उद्देश्य विलय योजना पर विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो उसमें संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करना है। बैठकों का विवरण (दिनांक और समय) निम्नानुसार है:

कंपनी	सुरक्षित लेनदारों की बैठक	असुरक्षित लेनदारों की बैठक
ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड	25.04.2026 को सुबह 11 बजे	25.04.2026 को सुबह 11:30 बजे
नैनज मेड साइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	25.04.2026 को दोपहर 12:30 बजे	25.04.2026 को दोपहर 02:00 बजे

इसके अलावा, लेनदारों के लिए 22 अप्रैल 2026 को सुबह 09:00 बजे से लेकर 24 अप्रैल 2026 को शाम 05:00 बजे तक रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

यूजर नाम और पासवर्ड एनएसडीएल द्वारा जेनरेट किए जाएँगे और एनएसडीएल पोर्टल पर रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने से काफी पहले अलग से भेज दिए जाएँगे।

उक्त विलय योजना और धारा 232 के साथ पठित धारा 230 के तहत स्पष्टीकरण विवरण की प्रतियाँ संबंधित आवेदक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय से, या उनके वकीलों – श्री धृतिमान भट्टाचार्य/सुश्री दीति ओझा, एडवोकेट्स, यूनिटी लीगल एस 369, जीके 2, नई दिल्ली 110048 (documents@unitylegal.com) के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। अधिकरण के निर्देशानुसार, उक्त बैठकों के व्यक्तिगत नोटिस एनएसडीएल द्वारा ईमेल के माध्यम से सभी सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों को भेजे जा रहे हैं; ये नोटिस एनसीएलटी में संयुक्त आवेदन के साथ जमा की गई सूची के अनुसार भेजे जा रहे हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी लेनदार जो बैठकों में शामिल होने और वोट देने का हकदार है, वह अपनी ओर से बैठकों में शामिल होने और वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है; और यह जरूरी नहीं है कि वह प्रॉक्सी कंपनी का कोई असुरक्षित लेनदार ही हो। चूंकि यह मीटिंग वी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए लेनदारों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संस्थागत/कॉर्पोरेट लेनदारों (यानी, व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा अन्य) को अपने बोर्ड या शासी निकाय के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रति की स्पष्ट स्कैन कॉपी, अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि की आईडी के साथ भेजनी होगी; ताकि वे उनकी ओर से वीसी के माध्यम से बैठकों में शामिल हो सकें और बैठकों में वोट दे सकें। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकार पत्र, जिस व्यक्ति को बैठकों में शामिल होने के लिए अधिकृत किया गया है, उसके द्वारा स्व-प्रमाणित करके कंपनी को ncltmeeting6@gmail.com पर भेजा जाएगा; और इसकी एक प्रति श्री निखिल पल्ली, संवीक्षक को np@pll.co.in पर भेजी जाएगी। कोई भी सुरक्षित या असुरक्षित लेनदार, जिसे बैठकों के संबंध में किसी भी सहायता/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, वह कंपनी को ncltmeetings@gmail.com पर लिख सकता है। अधिकरण ने माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील गौड़, पूर्व जज, दिल्ली हाई कोर्ट को अध्यक्ष, श्रीमती रश्मि चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष, और श्री निखिल पल्ली को बैठकों, जिनमें किसी भी स्थगन की स्थिति भी शामिल है, के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है। ऊपर उल्लिखित विलय योजना, यदि बैठकों द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो यह राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

सुनील गौड़, (पूर्व जज, दिल्ली हाई कोर्ट)

दिनांक 26.02.2026 के आदेश के अनुसार

माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच ने सीए(सीएए) 4/एनडी/2026 में अध्यक्ष

दिनांकः 20 मार्च, 2026

FORM NO. CAA. 2
[Pursuant to Section 230 (3) and Rules 6 and 7)]
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,
NEW DELHI BENCH
CA(CAA) No. 4/ND/2026

In the matter of the Companies Act, 2013

and

In the matter of Sections 230 to 232, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013

and

In the matter of Scheme of Amalgamation of Glide Chem Private Limited.

(Transferor Company)

with

Nanz Med Science Pharma Private Limited

(Transferee Company)

and their respective shareholders

1. **GLIDE CHEM PRIVATE LIMITED,** CIN: U24211DL1998PTC094129 a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered office at 42/1 First Floor, Block A, Naraina Industrial Area Phase 1, Naraina Industrial Estate, Delhi, 110028, PAN: - AACG9039L ...Transferor Company /Applicant Company 1
2. **Nanz Med Science Pharma Private Limited,** (CIN: U01403DL2006PTC156756) a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered office at C-168 Ground Floor, Naraina Industrial Area, Phase I, Naraina Industrial Estate, South West Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110028. PAN: AACCN5552B ....he Transferee Company /Applicant Company 2

NOTICE FOR CONVENING MEETING OF THE APPLICANT COMPANIES THROUGH VIDEO CONFERENCING FACILITY

Notice is hereby given that by an Order dated 26.02.2026, the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal has directed separate meetings to be held of the secured and unsecured creditors of both the Applicant Companies for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation between the Applicant Companies, and their respective shareholders. In pursuance of the said Order, notice is hereby given that the separate meetings of the secured and unsecured creditors of the Applicant Companies will be held as through VC on the platform and facilities provided by NSDL, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation. The details (date and time) of the meetings are as under:

Company	Meeting of Secured Creditors	Meeting of Unsecured Creditors
Glide Chem Private Limited	At 11 am on 25.04.2026	At 11:30 am on 25.04.2026
Nanz Med Science Pharma Private Limited	At 12:30 pm on 25.04.2026	At 02:00 pm on 25.04.2026

Additionally, remote e-voting facility will be available to the creditors between 09:00 AM on 22 April 2026 till 05:00 PM on 24 April 2026.

The username and password will be generated by NSDL and shall be sent separately well in advance before the NSDL portal is open for remote e-voting.

Copies of the said Scheme of Amalgamation and the explanatory statement under section 230 r.w. 232 can be obtained free of charge at the registered office of the respective Applicant Companies or at the office of its advocates, Shri Dhritiman Bhattacharyya/Ms. Deeti Ojha, Advocates, Unity Legal S 369, GK 2, New Delhi 110048 (documents@unitylegal.com).

In accordance with the direction of the Tribunal, individual notices of the said meetings, is being sent through email by NSDL to all secured creditors and the unsecured creditors as per the list filed with the joint application with NCLT.

Pursuant to the provisions of the act, a creditor entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on his/ her behalf and the proxy need not be an unsecured creditor of the company. Since this meeting is being held through VC facility, the requirement of physical attendance of creditors has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the creditors will not be available.

Further, pursuant to the provisions of the Act, the Institutional/ Corporate creditors (i.e., other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send legible scan of certified true copy of its Board or governing body resolution/ power of attorney/ authority letter etc., together with the ID of the duly authorised representative(s), to attend the Meeting through VC on its behalf and vote at the Meeting. The said resolution/ authorisation, self-attested by the person so authorized to attend the Meeting, shall be sent to the Company at ncltmeetings@gmail.com with a copy marked to the Mr. Nikhil Palli, Scrutinizer at np@plf.co.in.

Any secured creditor or unsecured creditor requiring any assistance/clarification regarding the meetings may write to the Company on ncltmeetings@gmail.com

The Tribunal has appointed Hon'ble Mr. Justice Sunil Gaur, former Judge, Delhi High Court as the Chairperson, Mrs. Rashmi Chopra, Sr. Adv. as the Alternate Chairperson and Mr. Nikhil Palli as the Scrutinizer of the Meetings, including for any adjournments thereof. The above mentioned Scheme of Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of National Company Law Tribunal, New Delhi Bench.

Sunil Gaur, (former Judge, Delhi High Court)
Chairperson appointed by Hon'ble NCLT, New Delhi Bench in CA(CAA) 4/ND/2026
vide Order dated 26.02.2026

Dated: 20 March, 2026

Scanned with OKEN Scanner